निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 719) पटना, बुधवार, 7 सितम्बर 2016

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

अधिसूचना

30 मई 2016

सं0 18/लो०शि०नि०–14–04/2016–7691——बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुमंडल, जिला एवं विभाग स्तर पर स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित लोक सेवकों को तुरन्त के प्रभाव से अधिसूचित करती हैः–

(ग) अनुमंडल स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	जिला पदाधिकारी
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	प्रमंडलीय आयुक्त

(ख) जिला स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	प्रमंडलीय आयुक्त
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	विभागीय जाँच आयुक्त

(ग) विभाग स्तर

1	2	3
क्र० सं०	पद का नाम	विनिर्दिष्ट लोक सेवक
1.	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	संबंधित विभाग के उप–सचिव (उप–सचिव की अनुपलब्धता की स्थिति में अवर सचिव)
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
3.	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव
4.	पुनरीक्षण प्राधिकार	विभागीय जाँच आयुक्त

2. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, परिवाद, अपील तथा पुनरीक्षण के विनिश्चय के लिए निम्नलिखित समय सीमा नियत करती हैः–

(i) परिवाद–60 (साठ) दिन

(ii) प्रथम अपील– 60 (साठ) दिन

(iii) द्वितीय अपील–60 (साठ) दिन

(iV) पूनरीक्षण–60 (साठ) दिन

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 719-571+1000-**डी**0**टी**0**पी**0।

Website: http://egazette.bih.nic.in